

कमिशनर वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश

उपस्थिति :- श्री सुनील कुमार ,कमिशनर ,वाणिज्य कर,उ०प्र०
 प्रार्थी :- सर्वश्री यू०पी० स्वीट सुपाड़ी मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेशन,मथुरा ।
 प्रार्थना पत्र सं० :- 46 / 2008
 प्रार्थी की ओर से :- श्री मोनिल अग्रवाल ,फर्म अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- सर्वश्री यू०पी० स्वीट सुपाड़ी मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेशन,मथुरा के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत दिनांक रहित प्रार्थना पत्र दिनांक 11-2-08 को प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रश्न निर्णय हेतु प्रस्तुत किये गये हैं:-

“ मीठी सुपाड़ी पर कर की दर क्या होगी ?”

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर मुख्यालय के पत्र संख्या- 750 दिनांक 11-2-08 से डिप्टी कमिशनर (क०नि०)वाणिज्य कर ,मथुरा जोन से आख्या माँगी गई जिसे उन्होंने अपने पत्र संख्या-4355 दिनांक 13-2-2008 से आख्या प्रेषित की है । प्रेषित आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि सादी सुपाड़ी और मीठी सुपाड़ी पूर्णतः भिन्न वस्तुयें इनका प्रयोग पूरी तरह से भिन्न है । यह भी उल्लेख किया है कि अनेक व्यापारियों द्वारा मीठी सुपाड़ी की प्रान्तीय बिक्री पर 12.5 की दर से कर वसूला जा रहा है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि 19-2-08 पर श्री मोनिल अग्रवाल , फर्म अधिवक्ता उपस्थित हुये । उन्होंने तर्क किया कि प्रार्थी उत्तर प्रदेश स्वीट सुपाड़ी निर्माता संघ के प्रतिनिधि है । व्यापारियों के द्वारा कच्चे माल के रूप में सादी सुपाड़ी , लिक्विड ग्लूकोज , ग्लूकोज पाउडर , सैक्रीन ,सोडा ,चीनी ,पैराफिन आयल ,पिपरमेंट ,इलायची आदि विभिन्न वस्तुयें प्रयोग करते हुये मीठी सुपाड़ी का निर्माण किया जाता है। उन्होंने तर्क किया कि इस प्रकार से निर्मित सुपाड़ी करदेयता के बिन्दु पर सुपाड़ी ही रहनी चाहिए और इस पर कर की दर वज्रपति संख्या - केएनआई-2-3121/X1-9(197)-07-यू०पी० अध्या०-37-2007-आर्डर-(14) दिनांक 24-12-2007 की अनुसूची -2 के क्रमांक -9 के अनुसार 4 प्रतिशत होनी चाहिए । उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री क्रेन बीटल नट पाउडर वर्क्स बनाम कमिशनर आफ कस्टमस एंड सेन्ट्रल इक्साइज के निर्णय की फोटो प्रति प्रस्तुत करते हुये तर्क किया कि इक्साइज के मामले में मीठी सुपाड़ी को सुपाड़ी की श्रेणी में माना गया है।

4- मैंने विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा फील्ड से प्राप्त आख्या एवं अभिलेखों का अवलोकन किया जहाँ तक मीठी सुपाड़ी के निर्माण की प्रक्रियाओं का सम्बन्ध है जैसा कि विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि इसके निर्माण में सादी सुपाड़ी , लिक्विड ग्लूकोज , ग्लूकोज पाउडर , सैक्रीन ,सोडा ,चीनी ,पैराफिन आयल ,पिपरमेंट ,इलायची आदि विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और इसका एक निश्चित अनुपात होता है । इस प्रकार सादी सुपाड़ी ,मीठी सुपाड़ी के बनाने में प्रयोग होने वाला एक कच्चा माल है और निर्मित माल मीठी सुपाड़ी सादी सुपाड़ी से भिन्न है । जहाँ तक सर्वश्री क्रेन बीटल नट पाउडर वर्क्स के निर्णय का सम्बन्ध है यह कस्टम और सेन्ट्रल इक्साइज के वर्गीकरण से सम्बन्धित है जिसमें बीटल नट (सुपाड़ी) की कई श्रेणियाँ वर्गीकृत है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी पर विचार करने के पश्चात अपना निर्णय दिया है। जहाँ तक विचाराधीन मामले में मीठी सुपाड़ी की करदेयता का सम्बन्ध है उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या- केएनआई-2-3121/X1-9(197)-07-यू०पी० अध्या०-37-2007-आर्डर-(14) दिनांक 24-12-2007 की अनुसूची -2 के क्रमांक-9 में निम्न प्रविष्टि है:-

9.	Arecanut powder and betel nut.
----	--------------------------------

इस प्रकार अनुसूची में उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि इसमें मीठी सुपाड़ी जो एक निर्माण की प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुये बनायी जाती है इस श्रेणी में नहीं आयेगी । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी कमिशनर वाणिज्य कर द्वारा परिपत्र संख्या-विधि-1(1)-आर-16-(2006-2007)/टी०सी०/1113/व्यापार कर दिनांक 11-10-06 जारी करते हुये यह स्पष्ट किया गया है कि मीठी सुपाड़ी वर्गीकृत नहीं है । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 के अन्तर्गत भी यह वर्गीकृत नहीं है अतः इस पर कर की दर 12.5% होगी ।

क्रमशः 2पर/

सर्वश्री यू0पी0 स्वीट सुपाड़ी मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेशन,मथुरा ।
प्रार्थना पत्र सं0 :- 46 / 2008

- 5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है
7- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर-निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

दिनांक :: 25 , फरवरी ,2008

ह0 25-2-08

(सुनील कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर ,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।